न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (109)

प्र0क0 ।।।/निगरानी/श्योपुर/भू0रा0/2017/2562

1–नबाबउद्दीन 2–मकसूद

3–मंजूर 4–मजहर 5–मुजफफर

समस्त पुत्रगण निजामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम वालापुरा तहसील व जिला श्योपुर (म0प्र0)

श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभि0
द्वारा आज दि: 4-8-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-8-17
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

..........................आवेदक

बनाम

1–शब्बीर पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम वालापुरा तह0 व जिला श्योपुर

2–वसीरन पत्नी निजामुद्दीन

3–हसीना पुत्री निजामुद्दीन

निवासी ग्राम वालापुरा तह0 व जिला श्योपुर म0प्र0

...........असल/अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 20/07/2017 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्र0क0 248/अपील/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम वालापुरा तह0 व जिला श्योपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 1681/3 ख रकवा 2 वीघा के आवेदकगण व अनावेदकगण क0 1 व 3 के पिता तथा अना0 क0 2 के पति निजामुद्दीन भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी थे।

2– यह कि निजामुद्दीन की मृत्यु दिनांक 10/04/2014 को हो जाने पर अना0 क0 1 द्वारा वसियत के आधार पर तहसीलदार महोदय श्योपुर के समक्ष ... किया जो प्र0क0 10/07–08 x अ/6 पर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/श्योपुर/भूरा/2017/2562

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
25 –9–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 248/अपील/2016–2017 में पारित आदेश दिनांक 20.7.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के प्रकरण कमांक 10/अ–6/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 28.12.2007 के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो अवधि बाह्य थी जिसे मानने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और इसकी पुष्टि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा अपने आदेश में की गई है। अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 248/अपील/2016–2017 में पारित आदेश दिनांक 20.7.17 उचित होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। सदस्य	